


समाहरणालय, अरवल
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश


स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत श्री. राजीव गार को जिला तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का विशेष नोडल पदाधिकारी नामित किया जाता है। ये जिले के सभी विभागों के पदाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का जिले में सफल संचालन कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अरवल जिले को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित कराने हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

यह आदेश तत्कालीक प्रभाव से लागू होगा।


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।
दिनांक 10/11/18

ज्ञापांक 1043(1)/मो/अरवल

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल/जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, अरवल/जिला पंचायती राज पदाधिकारी/सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना /पुलिस उप महानिरीक्षक, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इक्नामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

समाहरणालय, अरवल
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2018 को जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल एवं सोपियो इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) के सयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA.2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता जो सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

प्रखंड स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे :-

- | | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. प्रखंड विकास पदाधिकारी | - अध्यक्ष |
| 2. प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी | - सन्वयक सदस्य |
| 3. प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी | - सदस्य |
| 4. प्रखंड कृषि पदाधिकारी | - सदस्य |
| 5. श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी | - सदस्य |
| 6. प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक | - सदस्य |
| 7. संबंधित थानाध्यक्ष | - सदस्य |

संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने अपने कार्यक्षेत्र में इस छापामार दस्ते के द्वारा प्रत्येक सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित कराते हुए प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे। वे आवश्यकतानुसार अंचलाधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को भी अध्यक्ष के रूप में प्रतिनियुक्त कर सकेंगे। साथ ही उनके द्वारा प्रखंड स्तरीय अन्य पदाधिकारियों की भी सेवायें ली जा सकेंगी।

जिलाधिकारी -सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

दिनांक 10/11/18

- ज्ञापांक 1042(11) /मो० अरवल
- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, अरवल / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी -सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

समाहरणालय, अरवल
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश

तम्बाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इससे मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2018 को जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल एवं सावित्री इकोनॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के विभिन्न धाराओं के अनुपालनार्थ जिला स्तरीय छापामार दस्ते का गठन किया जाता है। यह दस्ता सार्वजनिक स्थलों, सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय परिक्षेत्र, शिक्षण संस्थानों, स्वास्थ्य संस्थानों एवं तम्बाकू उत्पाद विक्रय स्थलों की मॉनिटरिंग कर उल्लंघनकर्ता पर नियमानुसार चालान/जुर्माना (रूपये 200/- तक) की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी।

जिला स्तरीय छापामार दस्ता में निम्नलिखित पदाधिकारी रहेंगे:-

- | | | |
|--|---|---------|
| 1. आरक्षी उपाधीक्षक (मुख्यालय) | - | अध्यक्ष |
| 2. उपाधीक्षक, सदर अस्पताल, अरवल | - | सदस्य |
| 3. जिला परिवहन पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 4. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 5. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 6. जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 7. औषधि निरीक्षक | - | सदस्य |
| 8. जिला शिक्षा पदाधिकारी | - | सदस्य |
| 9. जिला कार्यक्रम प्रबंधक (जिला स्वास्थ्य समिति) | - | सदस्य |
| 10. श्रम अधीक्षक, अरवल | - | सदस्य |
| 11. संबंधित थानाध्यक्ष | - | सदस्य |
| 12. जिला नोडल पदाधिकारी (तम्बाकू नियंत्रण) | - | समन्वयक |

जिला नोडल पदाधिकारी तम्बाकू नियंत्रण इस छापामार दस्ते के साथ समन्वय स्थापित कर सप्ताह में कम से कम एक बार छापामारी की प्रक्रिया को क्रियान्वित करेंगे। साथ ही प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में इसका प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

ज्ञापांक 1042/DH/मो अरवल

दिनांक 10/11/18

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, अरवल / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आशय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मगध प्रगंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोशियो इकनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

समाहरणालय, अरवल
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

तम्बाकू सेवन से स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2018 को जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल एवं सोसियो इकनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6A) के अनुसार सभी तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दूकानों पर यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को तम्बाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तम्बाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंधित है फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-



तम्बाकू जानलेवा है

अठारह वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तम्बाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है

जिला के सभी तम्बाकू उत्पाद यथा- बिड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटिनयुक्त पान मशाला तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 ₹ तक दंड का प्रावधान है।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

दिनांक 10/11/18.

ज्ञापांक 1046(1)/गो अरवल

प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, अरवल / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आषय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल

समाहरणालय, अरवल
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)

आदेश

धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2018 को जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल एवं ~~सोसाइटी~~ ^{सोसाइटी} इवैनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया एवं कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (6B) के अनुसार सभी शिक्षण संस्थानों को तम्बाकू मुक्त बनाने के लिए शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद को बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही विद्यालय के मुख्य द्वार पर तम्बाकू के दुष्प्रभाव से संबंधित पोस्टर, बैनर एवं फ्लैक्स लगाने का निदेश दिया गया है। फ्लैक्स बैनर का प्रारूप निम्नप्रकार से है :-

← 60cmx 60 cm (15cm+30cm+15cm) →

तम्बाकू मुक्त शिक्षण संस्थान

इस शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पाद बेचना कानूनी अपराध है, उल्लंघन करने वालों पर 200/-रूपये तक का जुर्माना हो सकता है।

आदेशानुसार
शिक्षण संस्थान के अधिकारी का नाम: _____
शिक्षण संस्थान का नाम: _____

जिला के सभी सरकारी/गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाध्यापकों को निदेशित किया जाता है कि अपने-अपने शिक्षण संस्थान में उपरोक्त प्रारूप का दिवार लेखन एवं 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार का तम्बाकू उत्पाद की विक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना सुनिश्चित करें। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रू० तक दंड का प्रावधान है। साथ में इसकी सूचना प्रत्येक महीने के प्रथम सप्ताह में जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करें।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि आम जन के बीच तम्बाकू के दूष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से सभी सरकारी/गैर सरकारी विद्यालयों में तम्बाकू नियंत्रण पर प्रभात-फेरी के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी -सह-अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

ज्ञापांक 1045/088 गो० अरवल

दिनांक 10/11/18

- प्रतिलिपि :- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, अरवल/जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट /जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई०सी०डी०एस० / डी०आई०ओ०, एन०आई०सी०, /जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन /जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आषय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया /पुलिस उप महानिरीक्षक, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इवैनामिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी /राज्य सलाहकार, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।


समाहरणालय, अरवल
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश

अरवल जिले के कई स्थानों पर तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का प्रचार-प्रसार बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से किया जा रहा है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003, के धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अधिनियम की धारा 21 के अनुसार "धारा 5 का उल्लंघन करने पर दो वर्ष का कारावास / रूपये 1000 /-(रूपये एक हजार) का आर्थिक दण्ड अथवा दोनों का प्रावधान है"।

अतः सभी संबंधित एजेंसियों / संस्थाओं / दुकानदारों / व्यक्तियों को निदेश दिया जाता है कि किसी भी तंबाकू उत्पाद यथा सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, जर्दा एवं खैनी का बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में प्रचार-प्रसार करना बंद करें एवं ~~किशनगंज~~ जिले में लगाये गये इस तरह के बैनर्स / पोस्टर्स / होर्डिंग्स / दिवाल लेखन इत्यादि को तत्काल प्रभाव से हटाये जायें अन्यथा विधि संगत कार्रवाई की जा सकती है। संबंधित पदाधिकारी अपने कार्य क्षेत्र को TAPS (Tobacco Advertisement Promotion and Sponsorship) मुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को एक माह के अंदर सूचित करें।


यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

ज्ञापांक 1044/D/18 अरवल
प्रतिलिपि :-

दिनांक 10/11/20...

- सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, किशनगंज / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आषय की सूचना देंगे।
- प्रतिलिपि :- आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, गया को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी -सह- अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

समाहरणालय, अरवल
(जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग)
आदेश

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना अपराध है। उल्लेखनीय है कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गम्भीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत दिनांक 29.08.2018 को जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल एवं सोषियो इक्नॉमिक एण्ड एजुकेशन डेवलपमेंट सोसाईटी (SEEDS) के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में लिए गए निर्णय के अनुसार सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना निषेध है, लेकिन अभी भी आम जनता जानकारी और कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के अभाव में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करते हैं।

जिले के सभी सार्वजनिक स्थलों यथा-बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, मनोरंजन केन्द्र, पुस्तकालय, शॉपिंग मॉल, कॉफी हाउस, न्यायालय परिसर, सभाकक्ष, प्रतिकालय, टी स्टॉल, मिष्ठान भंडार, ढाबा, सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालय, सभी सरकारी/गैर सरकारी शैक्षणिक संस्थान, सभी सरकारी/गैर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्र/अस्पताल, सिनेमा हॉल, होटल/ रेस्टोरेन्ट, पंचायत भवन, चौक एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है। यदि सार्वजनिक स्थानों पर कोई व्यक्ति धूम्रपान करते पाया जाता है तो भारतीय तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम, COTPA-2003 की धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, उल्लंघनकर्ता को रुपये 200/- तक जुर्माना किया जा सकता है। बोर्ड का प्रारूप निम्नांकित है :-



अतः चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड की व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वयन के लिए सभी अधिकृत पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि अपने-अपने कार्य क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा (4) के तहत उल्लंघन करने वाले को 200 रु0 तक दंडित करना एवं सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध का बोर्ड लगवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ में प्रत्येक महिने के प्रथम सप्ताह में उक्त कार्यवाही का प्रगति प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को देना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी प्रकार की त्रुटि पाई गयी तो इसके लिए संबंधित अधिकारी उत्तरदायी रहेंगे।

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष,
जिला तम्बाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल।

ज्ञापांक 1043/014/गो0 अरवल

दिनांक 10/11/18

प्रतिलिपि :-

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी / अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल / अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, अरवल / जिला नोडल पदाधिकारी, जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति, अरवल / जिला पंचायती राज पदाधिकारी / सिनेमा मजिस्ट्रेट / जिला सूचना जन सम्पर्क पदाधिकारी / जिला परिवहन पदाधिकारी / जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 / डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0, / जिला शिक्षा पदाधिकारी / सिविल सर्जन / जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला स्वास्थ्य समिति, अरवल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

पुलिस अधीक्षक, अरवल को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि अपने स्तर से जिले के सभी थानाध्यक्षों एवं पुलिस निरीक्षकों को इस आपय की सूचना देंगे।

प्रतिलिपि :-

आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया / पुलिस उप महानिरीक्षक, गया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

कार्यपालक निदेशक, सोसियो इकनामिक एण्ड ऐजुकेशन डेवलपमेंट सोसाइटी (सीडस), पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-

स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी सह अध्यक्ष,

जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति,
अरवल ।